



167

Handwritten signature/initials

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म०प०

निगरानी प्रकरण क्र०

सन् 2012

R 1165 II/12

- 1. श्रीमती तुलसा पत्नी कन्हयालाल यादव
 - 2. श्रीमती भूबाई पत्नी दरवारीलाल यादव
- दोनों निवासी ग्राम सरगुवा, पो. बंधा, तहसील
बड़ामाहरा, जिला-छतरपुर म०प०

निगरानीकर्ता/आवेदिका
गण

बनाम

- 1. कोमल कृई उम्र 51 वर्षी तनय कल्लू कृई
निवासी ग्राम सरगुवा, पो. बंधा, थाना-बड़ामाहरा
तह. बड़ामाहरा, जिला-छतरपुर म०प०
- 2. शासन म०प०

आवेदकगण अ त्तरवादी
गण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार बड़ामाहरा के
राजस्व प्रकरण क्र० 9/ए०3/2011-12 में पारित आदेश
दिनांक 27.3.12 के विरुद्ध निगरानी

Handwritten notes on the left margin: 19.6.12

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'जिला छतरपुर म०प०' and 'आवेदिका का नाम'.

Handwritten scribble at the bottom of the page.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-1165-दो/2012

जिला-छतरपुर

श्रीमती तुलसा यादव व अन्य विरुद्ध कोमल बढई व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 9/ए-3/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 27-03-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(जे०के० जैन) सदस्य</p>	